संख्या-54/2021/1681/33-3-2021-33/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 09 सितम्बर, 2021**

विषय- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को वर्ष 2021-22 के लिए संस्तुत निर्दिष्ट अनुदान (टाइड ग्रांट) की प्रथम किश्त के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-F.-15(4) F.C..-XV/FCD/2020-25 दिनांक 27.08.2021, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-एफ.सी.सी.ए.-350/दस-2021-02/2020 दिनांक 31.08.2021 एवं आपके पत्र संख्या-8/831/2021-8/215/2021-22 दिनांक 03.08.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं हेतु प्रथम किश्त की निर्दिष्ट अनुदान (टाइड ग्रांट) की अवमुक्त कुल धनराशि रू. 216240.00 लाख में से क्रमशः जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को निम्नवत शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय पन्द्रहवें वित्त आयोग की टाइड ग्रांट की धनराशि के उपयोग किए जानें के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1817/33-3-2020-33/2020 दिनांक 24.08.2020 व अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) पंचायतीराज संस्थाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे पंचायतीराज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी। उक्त प्रक्रिया पी.एफ.एम.एस. के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायतीराज संस्थाओं का बैंक खाता, आई.एफ.एस.सी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) धनराशि के आहरण की सूचना ,बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(8) उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करनें के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृति की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी; जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(9) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करनें के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करनें का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करनें के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(10) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(11) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के ऊपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होने का दायित्व निदेशक,पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) पंचायती राज संस्थाओं हेतु भारत सरकार से आवंटित प्रथम किश्त की निर्दिष्ट अनुदान (टाइड ग्रांट) की कुल धनराशि रू. 216240.00 लाख निम्नवत सारिणी के अनुसार अवमुक्त की जायेगी:-

(धनराशि रुपयें में)

क्र.स.	जनपद	जिला पंचायत	क्षेत्र पंचायत	ग्राम पंचायत	योग(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	आगरा	53914239	53914239	251599780	359428258
2	अलीगढ़	49453895	49453895	230784842	329692632
3	अम्बेडकर नगर	42642173	42642173	198996807	284281153
4	अमेठी	38593630	38593630	180103605	257290865
5	अमरोहा	29180832	29180832	136177214	194538878
6	औरैया	24998488	24998488	116659610	166656586

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7	अयोध्या	42229596	42229596	197071449	281530641
8	आजमगढ़	87164221	87164221	406766366	581094808
9	बागपत	21109111	21109111	98509185	140727407
10	बहराइच	66926782	66926782	312324981	446178545
11	बलिया	59372504	59372504	277071683	395816691
12	बलरामपुर	42513949	42513949	198398431	283426329
13	बांदा	34693899	34693899	161904863	231292661
14	बाराबंकी	60705134	60705134	283290626	404700894
15	बरेली	62974781	62974781	293882310	419831872
16	बस्ती	45020050	45020050	210093567	300133667
17	भदोही	26727289	26727289	124727351	178181929
18	बिजनौर	59295878	59295878	276714096	395305852
19	बदायू	54135755	54135755	252633525	360905035
20	बुलन्दशहर	55456997	55456997	258799317	369713311
21	चन्दौली	36550264	36550264	170567900	243668428
22	चित्रकूट	20769399	20769399	96923861	138462659
23	देवरिया	56446508	56446508	263417038	376310054
24	एटा	32510511	32510511	151715716	216736738
25	इटावा	26422444	26422444	123304739	176149627
26	फर्रुखाबाद	31034215	31034215	144826336	206894766
27	फतेहपुर	49370665	49370665	230396435	329137765
28	फिरोजाबाद	34821011	34821011	162498052	232140074
29	गौतमबुद्धनगर	7046649	7046649	32884365	46977663
30	गाजियाबाद	14534526	14534526	67827789	96896841
31	गाजीपुर	69157726	69157726	322736054	461051506
32	गोण्डा	68237008	68237008	318439370	454913386

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

33	गोरखपुर	70038053	70038053	326844245	466920351
34	हमीरपुर	22155166	22155166	103390773	147701105
35	हापुड़	19585692	19585692	91399897	130571281
36	हरदोई	77967122	77967122	363846571	519780815
37	हाथरस	25474501	25474501	118881005	169830007
38	जालौन	25559391	25559391	119277160	170395942
39	जौनपुर	83512765	83512765	389726237	556751767
40	झांसी	29704484	29704484	138620925	198029893
41	कन्नौज	29156771	29156771	136064931	194378473
42	कानपुर देहात	33772313	33772313	157604128	225148754
43	कानपुर नगर	34167754	34167754	159449516	227785024
44	कासगंज	24862651	24862651	116025706	165751008
45	कौशाम्बी	27629790	27629790	128939018	184198598
46	खीरी	78128188	78128188	364598212	520854588
47	कुशीनगर	62234964	62234964	290429831	414899759
48	ललितपुर	27059873	27059873	126279406	180399152
49	लखनऊ	27040293	27040293	126188033	180268619
50	महाराजगंज	48838761	48838761	227914218	325591740
51	महोबा	18044898	18044898	84209522	120299318
52	मैनपुरी	33177180	33177180	154826841	221181201
53	मथुरा	36016204	36016204	168075619	240108027
54	मऊ	33624520	33624520	156914426	224163466
55	मेरठ	34967948	34967948	163183755	233119651
56	मिर्जापुर	47931734	47931734	223681426	319544894
57	मुरादाबाद	39762336	39762336	185557568	265082240
58	मुजफ्फरनगर	45591934	45591934	212762359	303946227

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

59	पीलीभीत	37343347	37343347	174268951	248955645
60	प्रतापगढ़	60160013	60160013	280746726	401066752
61	प्रयागराज	88316735	88316735	412144773	588778243
62	रायबरेली	54200869	54200869	252937388	361339126
63	रामपुर	36133662	36133662	168623758	240891082
64	सहारनपुर	50823726	50823726	237177386	338824838
65	संम्भल	36844953	36844953	171943114	245633020
66	सन्त कबीर नगर	31224827	31224827	145715861	208165515
67	शाहजहापुर	50854464	50854464	237320831	339029759
68	शामली	19663281	19663281	91761977	131088539
69	श्रावस्ती	22774127	22774127	106279260	151827514
70	सिद्धार्थ नगर	47083727	47083727	219724061	313891515
71	सीतापुर	84266891	84266891	393245491	561779273
72	सोनभद्र	39810521	39810521	185782432	265403474
73	सुल्तानपुर	47495277	47495277	221644627	316635181
74	उन्नाव	55816975	55816975	260479217	372113167
75	वाराणसी	40771190	40771190	190265556	271807936
	योग-	**3243600000**	**3243600000**	**15136800000**	**21624000000**

2- उक्त मदों पर होनें वाला व्यय चालू वित्त वर्ष 2021-22 में आय- व्ययक के अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-15वें वित्त आयोग- 0301-पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान - 20 सहायता- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,प्रथम/ आडिट प्रथम ,उ0प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- समस्त मण्डलायुक्त।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 ।
6- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
8- संबंधित बैंकों को।
9- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2
11- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
12- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
13- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
14- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।